



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

गैर इरादन हत्या करने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास

दिनांक- 14.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना डिबाई पर एक महिला चन्द्रवती के साथ फावडे से वार कर गैर इरादे से हत्या करने** सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-144/2020 धारा 323,325,452,304,504,506 भादवि के अभियुक्त **सुनील पुत्र कुंवरपाल निवासी औरंगाबाद कसेर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर** को मा० न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा 05 वर्ष का कारावास व 9,500/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



श्री भुपेन्द्र सिंह राजपुत
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० सुनील
(पैरोकार)



का० विशाल
(कोर्ट मोहरीर)